राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 282/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :–04.11.2020

1.अनोख बाई पत्नी महावीर जाति गुर्जर निवासी अणतगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. शोजी आ0 रामनाथ जाति गुर्जर निवासी अणतगंज तहसील हिण्डोली।
2. उदा आ0 देवीलाल जाति गुर्जर निवासी अणतगंज तहसील हिण्डोली।
3. गोपाल आ0 नारायण जाति गुर्जर निवासी अणतगंज तहसील हिण्डोली।
4. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थीगण :– श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर
वकील अप्राथीगण 1 लगायत 3 :– एक पक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 4 :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 28/11/2024

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 2 पुराना 2 की भूमि खसरा संख्या 378/292 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा (0.3642 हैक्टेयर), खसरा संख्या 442/344 रकबा 2 बीघा (0.3237 हैक्टेयर) कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा (0.6879 हैक्टेयर) वाके ग्राम अनन्तगंज पटवार मण्डल अणतगंज भू0अ0नि0 दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है, जिसकी प्रार्थीया खातेदार आसामी है जो निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया ने पशुओं से फसल की सुरक्षा हेतु अपनी खातेदारी की भूमि के चारों तरफ खाई खुदाकर डोल लगा रखा है, जिस पर आक एवं अन्य किस्म के भाति–भाति के प्राकृति पोधे लगे हुए है जिससे अपनी फसल की सुरक्षा होती है एवं निरन्तर निर्बाद रूप से फसल बोती जोती एवं काटती चली आ रही है। प्रार्थीया के उक्त खाते कब्जे की भूमि के पूर्वी दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि है तथा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की भूमि के बीच प्रार्थीया की भूमि पर करीब 3 फिट चोडी खाई डोल है जो दोनों पक्षों की भूमियो को विभाजित करता है। प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि पर पूर्वी तरफ डोल व खाई

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उसके बाद अप्रार्थीगण की भूमि है, तथा पश्चिम में डोल खाई बाद में उत्तर में डोल व खाई एवं दक्षिण में डोल खाई उसके बाद पडत भूमि एवं उसके बाद नहर स्थित है, जिससे भूमि की चतुर्सीमा दर्शित है। तथा निरन्तर काबिज काश्त होने के उपरान्त भी प्रार्थीया की बिना सहमति जानकारी के अप्रार्थीगण ने अपने रिश्तेदार पटवार रामकिशन गुर्जर से साठगांठ कर चुपके से अपनी रिश्तेदारी का नाजायज फायदा उठाते हुए रजिंशवश प्रार्थीया को अनुचित रूप से हानि पहुँचाने के उद्धेश्य से कानूनगो से मिली भगत कर प्रार्थीया के खाते कब्जे की भूमि खसरा संख्या 442/344 करबा 2 बीघा (0.3237 हैक्टेयर) निहित है जिससे अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की भूमि खसरा संख्या 441/344 की गलत तरमीम कर दी गई जो गैर कानूनी कृत्य है तथा निरस्त होने योग्य है। तरमीम का आधार मुख्य रूप से कब्जा होता है अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 441/344 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की तरमीम जिस स्थान पर की गई उस स्थान पर अप्रार्थीगण कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। जबकि प्रार्थीया का उक्त स्थान पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा प्रार्थीया के खाते कब्जे के स्थान पर अप्रार्थीगण की भूमि की तरमीम की गई जो विधि विरूद्ध एवं प्रावधानों के विपरित है जो निरस्तनीय है एवं अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 441/344 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की तरमीम प्रार्थीया के खाते कब्जे की भूमि पर कर पटवारी व कानूनगो द्वारा जानबुझकर गैर कानूनी कृत्य किया है। इस कारण अप्रार्थीगण की वर्तमान तरमीम को निरस्त फरमाकर कब्जे के अनुरूप तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया के खाते कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 441/344 की तरमीम पटवारी कानूनगो द्वारा कर दिए जाने से अप्रार्थीगण गलत तरमीम के द्वारा प्रार्थीया को कब्जे काश्त की भूमि पर अनुचित रूप से कब्जा करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में कब्जे के सम्बन्ध में निष्पक्ष अधिकारी से जॉच करवाकर उक्त गलत तरमीम को निरस्त करवाना न्यायोचित है। इस सम्बन्ध मे नायब तहसीलदार दबलाना या तहसीलदार हिण्डोली से कब्जे के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट मंगवाई जाकर बिना कब्जे के अप्रार्थीगण की भूमि की प्रार्थीया के कब्जे की भमि के स्थान पर की गई तरमीम को निरस्त किया जाना कानून आवश्यक है। प्रार्थीया ने गलत तरमीम को दुरूस्त करने करवाने बाबत प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष दिनांक 07.01.2019 को पेश किया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने क बाद में कई बार पटवारी से सम्पर्क कर गलत तरमीम निरस्ती का अनुरोध करने भी कोई सुनवाई नहीं हुई फिर फरवरी माह 2020 को भी प्रार्थीया पटवारी साहब से गलत तरमीम निरस्ती बाबत मिली तो पटवारी साहब कॉरोना काल चलने व साईडे बन्द होना एवं रेवन्यू का काम बन्द होना बताया तथा चालू होने के उपरान्त तरमीम सही करने का आश्वासन दिया गया जिसके उपरान्त भी कार्यवाही नहीं होने से दिनांक 09.10.2020 को पटवारी साहब से प्रार्थीया फिर तो पटवारी साहब ने बताया कि नक्शा तरमीम का रिकॉर्ड आनॅलाईन जयपुर जा चुका है अब बिना न्यायालय के आदेश के कुछ नहीं हो सकता है इसलिए प्रार्थीया के पास न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी विकल्प नहीं रहा है। तरमीम नियम के अनुसार एक तरफ से की जाती है लेकिन पटवारी कानूनगो द्वारा भूमि खसरा संख्या 441/344 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की तरमीम प्रार्थीया के खाते कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

काश्त की भूमि में दक्षिणी दिशा में पडत भूमि व नहर से उत्तरी दिशा की भूमि को छोडकर बीच में तरमीम करके शेष बची भूमि पर भी अप्रार्थीगण को फायदा पहुँचाने के उद्धेश्य से छोड दी है जो गलत है इस स्थिति में भी उक्त गलत तरमीम को निरस्त किया जाना विधि सम्वत है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी की हैसियत से न्यायालय श्रीमान को उक्त गलत तरमीम के इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्राम अणतगंज की भूमि खसरा संख्या 442/344 रकबा 2 बीघा (0.3237 हैक्टेयर) स्थित प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि जिसके चारों और खाई व मिट्टी का डोल चतुर्सीमा की भूमि क मध्य की भूमि पर अप्रार्थीगण की भमि खसरा संख्या 441/344 की गई तरमीम को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थीया के पक्ष में सुलभ हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामिलो के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है। अप्रार्थी संख्या 4 पेरोकार सरकार की ओर से विवादित भूमि की कार्यालय नायब तहसीलदार, दबलाना की जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :– 37/राजस्व/24 दिनांक 10.01.2024 में ग्राम अणतगंज के वर्तमान खसरा संख्या 442/344 रकवा 0.3237 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीया अनोख बाई का कब्जा काश्त है व खसरा संख्या 441/344 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि में से 0.0809 भूमि पर पश्चिम दिशा में प्रार्थीया अनोख बाई का कब्जा काश्त है शेष भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम धारधडी के ख.सं 442/344 की वर्तमान तरमीम को प्रार्थीया के कब्जे अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 442/344 व खसरा संख्या 441/344 वाके ग्राम अणतगंज पटवार मण्डल अणतगंज की वर्तमान नक्शे में की गई तरमीमों को निरस्त किया जाता है। एवं नायब तहसीलदार दबलाना को आदेशित

उपखण्ड अधिकारी
डिण्डोली

किया जाता है कि वे खसरा संख्या 442/344 व खसरा संख्या 441/344 वाके ग्राम अणतगंज पटवार मण्डल अणतगंज के खातेदारों के वर्तमान कब्जे अनुसार मौके पर जाँच उपरान्त तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :- 28.11.2024 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर०ए०एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली